न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

(विविध वाद संख्या– 11/2025–26)

अरविन्द पाण्डेय वगै0 ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

राज्य (अंचल अधिकारी, चतरा) वगै0 ..... द्वितीय पद

आदेश

25.10.25

अभिलेख उपस्थापित।

प्रस्तुत विविधवाद प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें प्रविष्टि के बाद संबंधित पक्षकार को नोटिश निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, चतरा से प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। तत्पश्चात सुनवाई के बाद अभिलेख को आदेशार्थ रखते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणः–

मौजा	खाता सं0	थाना सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
देवरिया	168	183	629	0.67
			670	0.13
			642	0.22
			654	0.06
			674	0.31
			697	0.39
			739	0.33
			कुल रकवा	**2.11** एकड़

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम पक्ष की ओर से लिखित कथनः–

प्रश्नगत भूमि के जगदीश पाण्डेय, बलदेव पाण्डेय, सहदेव पाण्डेय, सुखदेव पाण्डेय, मसो0 सविता कुंवरी, गुलाब पाण्डेय, भगन पाण्डेय बंदोवस्त रैयत थे तथा अपीलार्थीगण बंदोवस्त रैयत के विधिक वारिसान है। प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार जगदीश पाण्डेय द्वारा उपरोक्त रैयत को बंदोवस्त किया गया तत्पश्चात बंदोवस्त रैयत द्वारा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रशीद प्राप्त किया गया एवं उक्त प्रश्नगत भूमि पर दखलकर रहे तथा वर्तमान में भी दखल काबिजकार है। आगे कथन है कि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा मौजा देवरिया का रिटर्न क्षतिपूर्ति दिनांक – 15.12.1954 के दाखिल किया गया, जो बंदोवस्त रैयत के नाम से है। अपीलार्थी गण का प्रश्नगत जमीन पर स्वत्व अधिकार हित व कब्जा है। उक्त प्रश्नगत भूमि की अवैध व गलत जमाबंदी विपक्षीगण के नाम से कायम हो गई है जिसे अंचल अधिकारी ने जांचोंपरांत विपक्षी के मूल जमाबंदी को निलंबित कर दिया है। विपक्षीगण गलत तरीके से प्रश्नगत भूमि पर दावा करते है जबकि उनकी जमाबंदी भी निलंबित (Suspended) है क्योंकि विपक्षी की जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के ही की गई है। अतः विपक्षीगण के नाम कायम जमाबंदी को निरस्त करते हुए बंदोवस्त रैयत (अपीलार्थीगण के पूर्वज) के नाम जमाबंदी कायम करने का आदेश दी जाय।

विपक्षी संख्या 02 मदन पाण्डेय का लिखित कथन के अनुसारः– अपीलार्थी द्वारा विपक्षी सं0– 03 से 07 के विरूद्ध लाया गया प्रस्तुत वाद पोषणीय है तथा स्वीकृत करने के योग्य है। अपीलार्थी जगदीश पाण्डेय, सुखदेव पाण्डेय, मसो0 सबिता कुंवरी एवं गुलाब पाण्डेय की रैयत बन्दोवस्ती जमीन है जो भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा हुकुमनामा से बंदोवस्त है। उपरोक्त बन्दोबस्तधारी रैयत संयुक्त रूप से काबिज दखलकार हुए है एवं जमीन्दार को लगान देकर रसीद निर्गत कराते चले आ रहे है। भूतपूर्व जमीन्दार उपरोक्त बन्दोवस्तधारी रैयत के नाम से क्षतिपूर्ति वाद संख्या में दिनांक – 15.12.1954 को रिटर्न भी दाखिल किये है, जिससे भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा बंदोवस्त किये जाने का पुख्ता प्रमाण है। विपक्षी संख्या 03 से 07 के द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत जमीन का कर्मचारी के मेल में लाकर जमाबन्दी गलत कायम करा लिये है। अंचलधिकारी, चतरा द्वारा आम इस्तेहार एवं नोटिश जमाबंदी रैयतो को नही दिया तथा मेल में आकर रसीद निर्गत कर दिया है। विपक्षीगण के नाम से जमाबन्दी अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है तथा

Scanned with OKEN Scanner

बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से प्राप्त किया गया है, जिसे रद्द करने की कृपा की जाय तथा अपीलार्थीगण के नाम से प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी खोलने की कृपा की जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि :– प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है तथा खतियान के अनुसार खतियानी रैयत जगन तेली व भागा तेली है। अपीलार्थीगण के अनुसार उक्त प्रश्नगत भूमि जमीन्दार द्वारा वापस ले लिया गया तथा हुकुमनामा से अपीलार्थीगण के पूर्वज जगदीश पाण्डेय, बलदेव पाण्डेय, सहदेय पाण्डेय, सुखदेय पाण्डेय, मसो0 सविता कुंवरी, गुलाब पाण्डेय, भगन पाण्डेय के नाम बंदोवस्त कर दिय गया है। रिटर्न की प्रति का अवलोकनोपरांत पाता हूं कि प्रश्नगत जमीन के बाबत क्षतिपूर्ति पदाधिकारी (Compensation Officer) द्वारा जगदीश पाण्डेय वगै0 के नाम से नोटिश निर्गत किया गया है तत्पश्चात प्रश्नगत भूमि का रिटर्न भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा जगदीश पाण्डेय वगै0 के नाम से दाखिल है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि जगदीश पाण्डेय वगै0 को ही भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा बंदोवस्त किया गया। साथ ही विपक्षी सं0 – 02 के पूर्वज बजरंग पाण्डेय वगै0 के नाम से पंजी – II के पृष्ठ संख्या – 149/1 पर कायम मूल जमाबंदी को अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पूर्व मे ही निलंबित (Suspended) किया जा चुका है, जो सभी विपक्षीगण के नाम वर्तमान में कायम मूल जमाबंदी से संबंधित है। साथ ही पूर्व में अंचल निरीक्षक द्वारा दिनांक – 19.01.2012 को अंचल अधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है कि " बजरंग पाण्डेय वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हुआ इसका कोई विधि संगत कागज साथ में संलग्न नही है।" साथ ही विपक्षीगण के मूल जमाबंदी रैयत बजरंग पाण्डेय के पुत्र मदन पाण्डेय (विपक्षी सं0 – 02) ने इस न्यायालय में लिखित रूप से स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि के वास्तविक रैयत अपीलार्थीगण ही है तथा बजरंग पाण्डेय के नाम गलत जमाबंदी कायम कर दी गई थी, जिसे तत्कालीन अंचल अधिकारी ने उक्त जमाबंदी को निलंबित कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों, तर्को व राजस्व कागजातों के आधार पर प्रश्नगत भूमि की वर्तमान में विपक्षीगण के नाम सभी जमाबंदी को निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी बंदोवस्त रैयत जगदीश पाण्डेय वगै0 के नाम कायम करते हुए लगान वसूल

Scanned with OKEN Scanner

करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, चतरा को आदेश आनुपालनार्थ भेजे। असंतुष्ट पक्ष अपीलीय न्यायालय में जाने हेतू स्वतंत्र है। वाद निष्पादित।

<u>लेखापित एवम् संशोधित</u>

6-10-25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

25-10-25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by VAIBHAV KUMAR SINGH
Date: 2025.11.10 13:19:08 +05:30
Location: 2409:40e4:2c:382a:ea03:9dce:25ea:c06a

Scanned with OKEN Scanner